भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादक संकेतक रिपोर्ट
अक्टूबर से दिसंबर, 2015

कार्यकारी सारांश

1. देश में दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या सितंबर, 2015 के अंत में 1,022.61 मिलियन से बढ़कर दिसंबर, 2015 के अंत में 1,036.41 मिलियन हो गई, जिसमें पिछली तिमाही की तुलना में 1.35 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में वर्ष–दर–वर्ष (वाई.ओ.वाई) आधार पर 6.74 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। देश में 30 सितंबर, 2015 को समग्र दूरसंचार घनत्व 80.98 से बढ़कर 30 दिसंबर, 2015 को 81.83 हो गया।

देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या तथा दूरसंचार घनत्व का रूझान

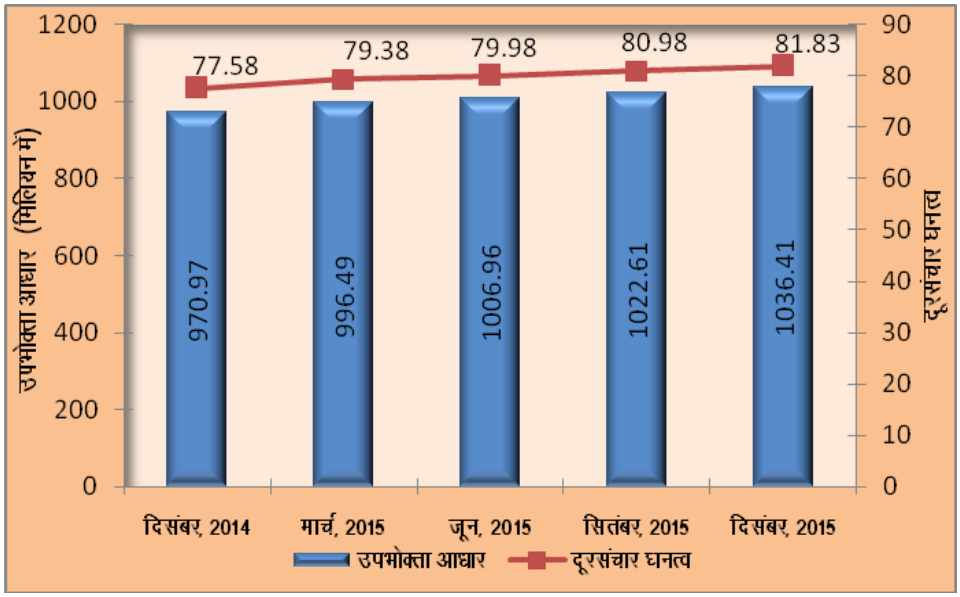

2. सितंबर, 2015 के अंत तक शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या 599.01 मिलियन से बढ़कर दिसंबर, 2015 के अंत में 600.66 मिलियन हो गया जबकि शहरी दूरसंचार घनत्व 152.76 से घटकर 152.45 हो गया। ग्रामीण दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या 423.61 मिलियन से बढ़कर 435.75 मिलियन हो गया तथा ग्रामीण दूरसंचार घनत्व भी इसी अवधि के दौरान 48.66 से बढ़कर 49.94 हो गया।

3. कुल दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या में से, ग्रामीण उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी सितंबर, 2015 के अंत तक 41.42 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर, 2015 के अंत तक 42.04 हो गई।

दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या का वितरण

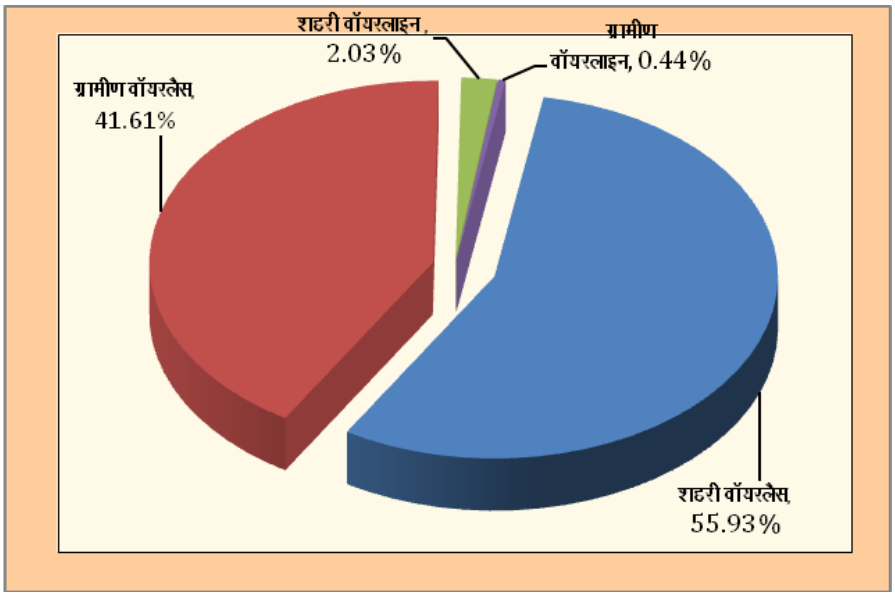

4. इस तिमाही के दौरान 14.23 मिलियन निवल नए उपभोक्ताओं के जुड़ने के साथ ही सितंबर, 2015 के अंत तक कुल वॉयरलैस (जीएसएम+सीडीएमए) उपभोक्ताओं का आधार 996.66 मिलियन से बढ़कर दिसंबर, 2015 के अंत तक 1,010.89 मिलियन हो गया, जिसमें पिछली तिमाही की तुलना में 1.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर, 2015 के लिये वॉयरलैस उपभोक्ताओं की वार्षिक वृद्धि दर 7.09 प्रतिशत रही।

5. वायरलैस दूरसंचार घनत्व सितंबर, 2015 के अंत में 78.93 से बढ़कर दिसंबर, 2015 के अंत में 79.82 हो गया।

6. वॉयरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या सितंबर, 2015 के अंत में 25.95 मिलियन से और अधिक घटकर सितंबर, 2015 के अंत में 25.52 मिलियन हो गया तथा इसमें 1.68 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। दिसंबर, 2015 के लिए वॉयरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या में वर्ष दर वर्ष (वाई.ओ.वाई.) 5.49 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

7. वॉयरलाइन दूरसंचार घनत्व सितंबर, 2015 के अंत में 2.06 से और घटकर दिसंबर, 2015 के अंत में 2.01 रह गया।

8. इंटरनेट उपभोक्ताओं की कुल संख्या सितंबर, 2015 के अंत में 324.95 मिलियन से बढ़कर दिसंबर, 2015 के अंत में 331.66 मिलियन हो गई जिसमें 2.06 प्रतिशत की तिमाही वृद्धि दर दर्ज की गई। 331.66 मिलियन में से वायरलाईन इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 19.98 मिलियन तथा वायरलैस इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 311.69 मिलियन है।

इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या का वितरण

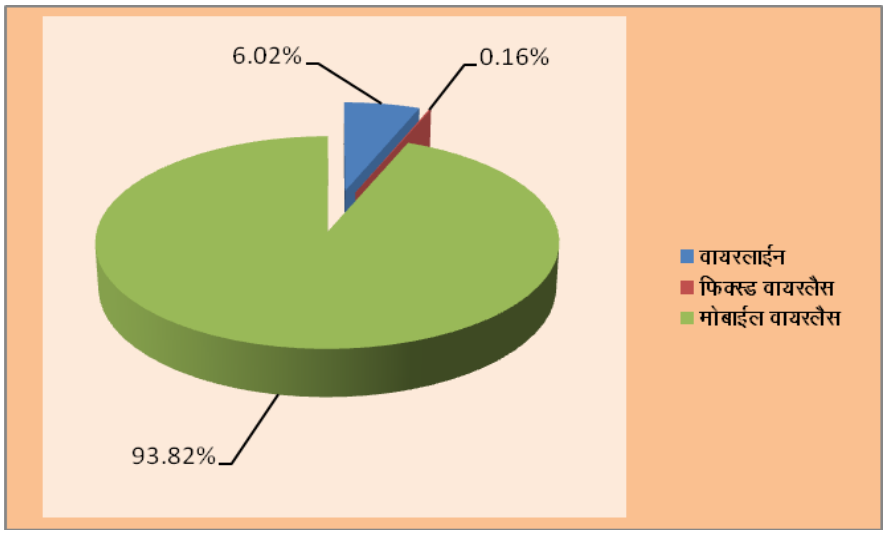

9. ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सितंबर, 2015 के अंत में 120.88 मिलियन से बढ़कर दिसंबर, 2015 के अंत में 136.53 मिलियन हो गई जिसमें 12.95 प्रतिशत की तिमाही वृद्धि दर दर्ज की गई।

10. नैरोबैंड इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सितंबर, 2015 के अंत में 204.07 मिलियन से घटकर दिसंबर, 2015 के अंत में 195.13 मिलियन रह गई जिसमें 4.38 प्रतिशत की तिमाही ह्रास दर दर्ज की गई।

11. जीएसएम सेवा के लिए प्रति उपभोक्ता मासिक औसत राजस्व (एआरपीयू) 0.44 प्रतिशत तिमाही वृद्धि के साथ सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के 122 रुपए से बढ़कर दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 123 रुपए हो गया। जबकि जीएसएम सेवा के लिए मासिक एआरपीयू इस तिमाही में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 3.60 प्रतिशत की दर से बढ़ गया।

12. जीएसएम सेवा के लिए प्रतिमाह प्रीपेड एआरपीयू सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 104.99 रुपए से बढ़कर दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 105.14 रुपए हो गया तथा प्रतिमाह

पोस्ट–पेड एआरपीयू सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 490 रुपए से बढ़कर दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 491 रुपए हो गया।

13. अखिल भारतीय औसत आधार पर जीएसएम सेवा के लिए समग्र उपयोग की गई मिनट (एमओयू) प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए 374 से बढ़कर दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए 376 हो गया।

14. जीएसएम प्रीपेड सेवा के लिए एमओयू प्रति उपभोक्ता सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए 349 से बढ़कर दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए 351 हो गया जबकि पोस्ट–पेड एमओयू सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए 917 से घटकर दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए 899 हो गया।

15. सीडीएमए पूर्ण मोबिलिटी सेवा के लिए प्रति उपभोक्ता मासिक औसत राजस्व (एआरपीयू) सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए 106 रुपए से घटकर दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए 103 रुपए हो गई। सीडीएमए पूर्ण मोबिलिटी सेवा के लिए मासिक एआरपीयू इस तिमाही में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 4.86 प्रतिशत घट गया।

16. सीडीएमए पूर्ण मोबिलिटी हेतु कुल एमओयू प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह में 1.88 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई अर्थात् सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 256 से घटकर दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 252 हो गया। सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए बहिर्गामी (ऑऊटगोईंग) एमओयू 144.38 से घटकर दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 143.87 हो गया और अंतर्गामी (इनकमिंग) एमओयू सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 112 से घटकर दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 108 रह गया।

17. दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए दूरसंरचार सेवा क्षेत्र हेतु सकल राजस्व (जीआर) तथा समयोजित सकल राजस्व (एजीआर) क्रमशः 65,347 करोड़ रुपए तथा 46,087 करोड़ रुपए रहा। दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में पिछली तिमाही के मुकाबले जीआर में 0.54 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई जबकि एजीआर में 0.37 प्रतिशत कमी दर्ज की गई।

18. पिछले वर्ष की इसी तिमाही में जीआर तथा एजीआर में वर्ष दर वर्ष (वाई.ओ.वाई.) क्रमशः 2.18 तथा 5.73 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

19. दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए पास–थ्रू–प्रभार सितंबर तिमाही में 18,740 करोड़ रुपए से बढकर 19,260 करोड़ रुपए हो गया। दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए पास–थ्रू–प्रभार में तिमाही तथा वर्ष–दर–वर्ष (वाई.ओ.वाई.) वृद्धि दर क्रमशः 2.78 प्रतिशत तथा –5.42 प्रतिशत रही।

20. सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए लाइसेंस शुल्क 3,701 करोड़ रुपए से घटकर दिसंबर, 2015 में 3,690 करोड़ रुपए हो गया। इस तिमाही के दौरान लाइसेंस शुल्क में तिमाही तथा वर्ष–दर–वर्ष (वाई.ओ.वाई.) वृद्धि दर क्रमशः –0.28 तथा 5.77 प्रतिशत रही।

21. एक्सेस सेवाओं ने दूरसंचार सेवाओं के कुल समायोजित सकल राजस्व में 83.09 प्रतिशत का योगदान दिया। दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में एक्सेस सेवाओं में सकल राजस्व (जीआर), समायोजित सकल राजस्व (एजीआर), लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) तथा पास–थ्रू प्रभारों में क्रमशः 1.40 प्रतिशत, 1.09 प्रतिशत, 1.08 प्रतिशत, 0.49 प्रतिशत तथा 2.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

22. एजीआर आधारित एक्सेस सेवाओं के लिए प्रति उपभोक्ता मासिक औसत राजस्व (एआरपीयू) सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 124.68 रुपए से घटकर दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 123.77 रुपए हो गया।

समायोजित सकल राजस्व का वितरण

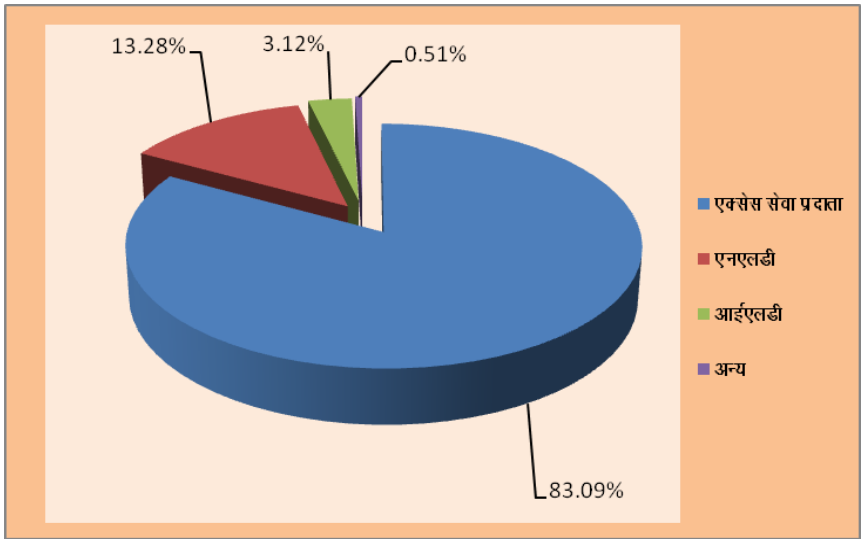

23. पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही के दौरान सेवा की गुणवत्ता के संदर्भ में 2जी वॉयरलैस सेवा प्रदाताओं का निष्पादन नीचे दिया गया है:–

सेवा गुणवत्ता में सुधार दर्शाने वाले मानदण्ड	सेवा गुणवत्ता में गिरावट दर्शाने वाले मानदण्ड
• डॉऊनटाईम के कारण सबसे अधिक प्रभावित बीटीएस (सेवा के लिए उपलब्ध नहीं) • टीसीएच कन्जेशन • कॉल ड्रॉप की दर • 3 प्रतिशत टीसीएच ड्रॉप (कॉल ड्रॉप) दर से अधिक, सर्वाधिक प्रभावित सेल • अच्छी आवाज की गुणवत्ता के साथ कनेक्शन • शिकायतों के समाधान की तिथि से उपभोक्ता के खाते में राशि जमा/छूट दिए जाने/समायोजन किये जाने की अवधि • 90 सेकण्ड के भीतर प्रचालक (वॉयस टू वॉयस) द्वारा उत्तर दी गई कॉलों का प्रतिशत • 7 दिनों के भीतर सेवा को समाप्त/बंद किए जाने हेतु अनुरोधों का प्रतिशत।	• मीटरिंग तथा बिलिंग क्रेडिबिलिटी –पोस्ट पेड • मीटरिंग तथा बिलिंग क्रेडिबिलिटी –प्रीपेड • बिलिंग/चार्जिंग/क्रेडिट तथा वैधता संबंधी शिकायतों का समाधान (चार सप्ताह में 98 प्रतिशत) • बिलिंग/चार्जिंग/क्रेडिट तथा वैधता संबंधी शिकायतों का समाधान (छह सप्ताह में 100 प्रतिशत) • कॉल सेंटर/कस्टमर केयर तक पहुंच • खाता बंद करने के पश्चात् निक्षेपों के प्रतिदाय में लिया गया समय।

24. पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही के दौरान सेवा गुणवत्ता के संदर्भ में 3जी वायरलैस सेवा प्रदाताओं का निष्पादन नीचे दिया गया है:

सेवा गुणवत्ता में सुधार दर्शाने वाले मानदण्ड	सेवा गुणवत्ता में गिरावट दर्शाने वाले मानदण्ड
• बीटीएस तथा नोड–बी संचयी डॉऊनटाईम (सेवा के लिए उपलब्ध नहीं) (प्रतिशत) • 3 प्रतिशत टीसीएच ड्रॉप (कॉल ड्रॉप) दर से अधिक, सर्वाधिक प्रभावित सेल तथा सर्किट स्वीच्ड वॉयस ड्रॉप दर:– (सीबीबीएच)	• डॉऊनटाईम के कारण सबसे अधिक प्रभावित बीटीएस तथा नोड–बी (प्रतिशत) • कॉल सेट–अप सफलता दर (लाइसेंसधारी के स्वयं के नेटवर्क के भीतर) • एसडीसीसीएच/पेजिंग चैनल तथा आरआरसी कंजेशन (प्रतिशत) • टीसीएच तथा सर्किट स्वीच्ड आरएबी कन्जेशन (प्रतिशत)

25. पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही के दौरान सेवा गुणवत्ता के संदर्भ में वॉयरलाइन सेवा प्रदाताओं का निष्पादन नीचे दिया गया है:

सेवा गुणवत्ता में सुधार दर्शाने वाले मानदण्ड
• प्रति 100 उपभोक्ता प्रति महिना खामियॉ • अगले कार्य दिवस तक ठीक की गई खामियां (शहरी क्षेत्रों के लिए) • एम टी टी आर • बिलिंग/चार्जिंग/क्रेडिट तथा वैधता शिकायतों का समाधान (चार सप्ताह के भीतर 98 प्रतिशत तथा छह सप्ताह के भीतर शत प्रतिशत) • 90 सैकिण्ड के भीतर ऑपरेटरों (वॉयस–टू–वॉयस) द्वारा उत्तर दी गई कॉलों का प्रतिशत • 7 दिनों के भीतर 100 प्रतिशत सेवा को समाप्त/बंद किया जाना

26. दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा केबल अपलिकिंग/डॉऊनलिकिंग/अपलिंकिंग के लिये 847 निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों को अनुमति प्रदान की गई है।

27. प्रसारकों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 30.09.2015 की स्थिति के अनुसार कुल 254 पे–चैनल थे। दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के दौरान तेरह नए पे–चैनलों को आरंभ किया गया, चार पे चैनलों को निलंबित किया गया तथा एक चैनल को पे चैनल से फ्री टू एयर चैनल में परिवर्तित कर दिया गया। अब, दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के अंत तक 262 पे–चैनल हैं।

28. डिजीटाईजेशन के साथ ही केबल टीवी क्षेत्र की एड्रेसेबिलिटी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से प्रगति पर है। इसे चार चरणों में पूर्ण किये जाने की योजना है। पहले चरण के लिए चार महानगरों में ''डिजीटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियों'' में अंतरण की तिथि 31.10.2012 थी तथा दूसरे चरण में 1 मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले 38 शहरों को कवर करते हुए अंतरण की तिथि 30.03.2013 थी। तीसरे तथा चौथे चरण की अंतिम तिथि क्रमशः 30.09.2014 तथा 31.12.2014 थी। तथापि, तीसरे और चौथे चरण के लिये अंतिम तिथि को क्रमशः दिनांक 31.12.2015 तथा 31.12.2016 तक बढ़ा दिया गया है।

29. दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, कुल 372 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) ऐसे थे जिन्हें डिजीटल एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा **औपबंधिक** पंजीकरण (दस वर्ष के लिए) प्रदान किया गया है।

30. ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती–सार्वजनिक प्रसारक द्वारा प्रचालित रेडियो स्टेशनों के अलावा दिनांक 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार कुल 243 निजी एफएम रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं। अंतर्विष्ट जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रदान की गई है।

31. वर्तमान में, दूरदर्शन की निशुल्क डीटीएच सेवा जो कि एक सार्वजनिक प्रसारक है, के अलावा छह निजी डीटीएच प्रचालक कार्य कर रहे हैं। यह सभी निजी डीटीएच प्रचालक पे–डीटीएच सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

32. डीटीएच प्रचालकों द्वारा डीटीएच सेवाओं हेतु तिमाही पीएमआर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर इन छह निजी डीटीएच प्रचालकों द्वारा दिनांक 31 दिसंबर, 2015 को कुल पंजीकृत व सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः 84.80 मिलियन तथा 55.98 मिलियन थी। कुल सक्रिय उपभोक्ताओं में अस्थायी तौर पर निलंबित वे उपभोक्ताएँ भी शामिल है जो 120 दिनों से अधिक समय से निष्क्रिय नहीं है।

33. सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 31 दिसंबर, 2015 को अब तक जारी किये गये 237 सामुदायिक रेडियो लाइसेंसों में से 190 स्टेशन ही चल रहे हैं।

मुख्य बातें

31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार डॉटा	
दूरसंचार उपभोक्ता (वॉयरलैस+वॉयरलाइन)	
कुल उपभोक्ताओं की संख्या	1,036.41 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन	1.35 प्रतिशत
शहरी उपभोक्ताओं की संख्या	600.66 मिलियन
ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या	435.75 मिलियन
निजी प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी	89.89 प्रतिशत
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी	10.11 प्रतिशत
दूरसंचार घनत्व	81.83
शहरी दूरसंचार घनत्व	152.45
ग्रामीण दूरसंचार घनत्व	49.94
वॉयरलैस उपभोक्ता	
कुल वॉयरलैस उपभोक्ताओं की संख्या	1,010.89 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन	1.43 प्रतिशत
शहरी उपभोक्ताओं की संख्या	579.67 मिलियन
ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या	431.22 मिलियन
जीएसएम उपभोक्ताओं की संख्या	963.99 मिलियन
सीडीएमए उपभोक्ताओं की संख्या	46.90 मिलियन
निजी प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी	91.48 प्रतिशत
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी	8.52 प्रतिशत
दूरसंचार घनत्व	79.82
शहरी दूरसंचार घनत्व	147.12
ग्रामीण दूरसंचार घनत्व	49.43
वॉयरलाइन उपभोक्ता	
कुल वॉयरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या	25.52 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन	-1.68 प्रतिशत
शहरी उपभोक्ताओं की संख्या	20.99 मिलियन
ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या	4.53 मिलियन
निजी प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी	26.91 प्रतिशत
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी	73.09 प्रतिशत
दूरसंचार घनत्व	2.01
शहरी दूरसंचार घनत्व	5.33
ग्रामीण दूरसंचार घनत्व	0.52
ग्रामीण पब्लिक टेलीफोन की संख्या (वीपीटी)	5,87,280
पब्लिक कॉल ऑफिसों की संख्या (पीसीओ)	6,18,084

इंटरनेट/ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	
कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या	331.66 मिलियन
नैरोबैंड उपभोक्ताओं की संख्या	195.13 मिलियन
ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या	136.53 मिलियन
वॉययलाईन इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या	19.98 मिलियन
वॉयरलैस इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या	311.69 मिलियन
शहरी इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या	219.50 मिलियन
ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या	112.16 मिलियन
प्रति 100 जनसंख्या पर कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या	26.19
प्रति 100 जनसंख्या पर कुल शहरी इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या	55.71
प्रति 100 जनसंख्या पर कुल ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या	12.86
प्रसारण और केबल सेवाएं	
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों की संख्या	847
निजी एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या	243
पंजीकृत डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या	84.80 मिलियन
एक्टिव डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या	55.98 मिलियन
दूरसंचार वित्तीय आंकडे (दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए)	
तिमाही के दौरान सकल राजस्व (जीआर)	65,347 करोड़ रुपए
पिछली तिमाही की तुलना में जीआर में प्रतिशत परिवर्तन	0.54 प्रतिशत
तिमाही के दौरान समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)	46,087 करोड़ रुपए
पिछली तिमाही की तुलना में एजीआर में प्रतिशत परिवर्तन	-0.37 प्रतिशत
एक्सेस एजीआर में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की हिस्सेदारी	10.21 प्रतिशत
एक्सेस सेवाओं हेतु प्रति उपभोक्ता मासिक औसत राजस्व (एआरपीयू)	124 रुपए
राजस्व और उपयोग मानदण्ड (दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए)	
जीएसएम पूर्ण मोबिलिटी सेवा हेतु मासिक एआरपीयू	123 रुपए
सीडीएमए पूर्ण मोबिलिटी सेवा हेतु मासिक एआरपीयू	103 रुपए
जीएसएम पूर्ण मोबिलिटी सेवा के लिए प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह उपयोग मिनट (एमओयू)	376 मिनट
सीडीएमए पूर्ण मोबिलिटी सेवा के लिए प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह उपयोग मिनट (एमओयू)	252 मिनट
इंटरनेट टेलीफोनी हेतु कुल बहिर्गामी (ऑऊटगोईंग) उपयोग मिनट	271 मिलियन
मोबाइल उपभोक्ताओं के द्वारा डॉटा उपयोग (दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए)	
जीएसएम हेतु प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह डॉटा उपयोग	122.93 एमबी
सीडीएमए हेतु प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह डॉटा उपयोग	412.91 एमबी
प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह डॉटा उपयोग–कुल (जीएसएम+सीडीएमए)	136.63 एमबी

———